न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बालोतरा
पीठासीन अधिकारीः सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्याः—100/2025

प्रार्थीः—

नरपतसिंह पुत्र भवानीसिंह जाति राजपूत निवासी बिजलिया तहसील सिवाना जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीगणः—

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिवाना जिला बालोतरा
2. मदनलाल पुत्र प्रतापराम जाति सुथार निवासी बिजलिया तहसील सिवाना जिला बालोतरा
3. शैतानसिंह पुत्र जैसाराम जाति राजपूत निवासी अर्जियाना तहसील सिवाना जिला बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :—

1. श्री कैलाशपुरी अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री गणपतसिंह अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 2
3. विप्रार्थी संख्या 1 व 3 अनुपस्थित

—:: आदेश ::—

दिनांक :— 06-05-2026

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू—राजस्व की धारा 131—136 के तहत विप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है, संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बिजलिया तहसील सिवाना में प्रार्थी का खेत खसरा संख्या 262 रकबा 3.2281 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है,विवादित भूमि प्रार्थी व विप्रार्थी सख्या 3 की संयुक्त खातेदारी की है। तहसील सिवाना के सर्वे—रिसर्वे में प्रार्थी के खेत के पुराने खसरा संख्या 178/71 रकबा 3.2375 हैक्टेयर भूमि का नवीन खसरा संख्या 262 रकबा 3.2281 हैक्टेयर बना उक्त खसरा के तरमीम करते समय राजस्व कर्मचारियों ने सहवन से नया रकबा 3.2281 हैक्टेयर बताकर पुराने लट्ठा ट्रसे को पूर्णतया बदल कर गलत तौ[illegible] इन्द्राज कर दिया। प्रार्थी के पूर्व खसरा संख्या 178/71 रकबा 3.2375 है[illegible] के स्थान पर खेत खसरा संख्या 262 रकबा 3.2281 हैक्टेयर बनाकर भूमि [illegible] रकबा कम करते हुए न[illegible] सख्या 262 के बदिश पश्चिम में कृषि योग्य उपजाऊ भूमि को अवैध तरीके से विप्रार्थी संख्या 2 के नाम की खातेदारी दर्शा कर नया खसरा संख्या 261 दर्ज कर विप्रार्थी संख्या 2 के नाम कर दी विप्रार्थी संख्या 2 अशुद्ध नक्शे के आड में प्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.05.23 13:33:25 IST
Reason: SelfAttested

के कब्जे की उपजाऊ भूमि को हडप किये जाने हेतु मौके पर कृषि भूमि में टयूबवेल खोद कर निर्माण कर कब्जा करने पर आमादा है जिससे मौके पर विवाद उत्पन्न हो गया है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा संख्या 262 में वर्तमान में हुई कम रकबे की तरमीम को निरस्त कर रकबे अनुसार आवेदन के संलग्न परिशिष्ट ''ए'' अनुसार राजस्व नक्शा ट्रेस में व प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा संख्या 262 में अशुद्ध तरमीम के जरिये खेत खसरा संख्या 261 बना कर विप्रार्थी संख्या 2 के नाम त्रुटि से दर्ज कर दिया गया को त्रुटि सुधार कर पूर्व राजस्व नक्शा परिशिष्ट ''ए'' अनुसार नक्शा शुद्ध किये जाने का निवेदन किया गया।

आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण की जरिये नोटिस तलबी की गई।

विप्रार्थी संख्या 3 के विरूद्ध बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की गई। विप्रार्थी संख्या 2 की ओर से वकील श्री गणपतसिंह उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया

तहसीलदार सिवाना से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई।

दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में आवेदन पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए माफिक अनुतोष प्रार्थी के खसरा संख्या 262 का रकबा व तरमीम दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया।

विप्रार्थी अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थी के खातेदारी भूमि में वर्तमान में हुए सेटलमेन्ट में मात्र एक विस्वा भूमि कम हुई है, प्रार्थी द्वारा केवल एक दिशा के पड़ौसी खातेदार को पक्षकार बनाया है, जबकि नक्शा तरमीम करते हुए समस्त दिशाओं के खसरो के भी नक्शे परिवर्तित हुए है, प्रार्थी व विप्रार्थी के मध्य कई तरह के वादपत्र एवं प्रार्थना पत्र अ[illegible] में प्रस्तुत हो चुके है प्रार्थी व विप्रार्थी के मध्य [illegible] लेकर सेट[illegible] के पूर्व विवाद के सम्बन्ध में तहसीलदार सिवाना [illegible] पर टयूबवेल का निर्माण विप्रार्थी के खसरा संख्या 185/75 में दर्शाए गई, प्रार्थी द्वारा विप्रार्थी को नाहक परेशान करने की नियत से उक्त आवेदन पत्र पेश किया गया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना अस्वीकार किया जाकर खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.05.23 13:33:25 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

हमने दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओ की बहस सुनी तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का गंभीरत से अवलोकन एवं मनन किया। तहसीलदार सिवाना के रिपोर्ट के संलग्न हल्का पटवारी के रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 262 (पूर्व खसरा संख्या 178/71) मूल खसरा संख्या 71 से आवंटित हुआ है मूल खसरा संख्या 71 में अन्य अलग–अलग व्यक्तियों को भी आवंटित हुआ है,खसरा संख्या 71 से आंवटित खसरो के R.O.R. एवं O.C.M. में भिन्नता है, तथा मौके पर कब्जा काश्त स्थिति व नक्शें की स्थिति में भी भिन्नता है। प्रार्थी के खसरा संख्या 262 की R.O.R 3.2375 हैक्टेयर और O.C.M. 2.1087 हैक्टेयर है, अर्थात R.O.R तथा O.C.M में 1.1288 हैक्टेयर का अन्तर है,विप्रार्थी संख्या 2 के खसरा सख्या 261 की R.O.R 2.4281 हैक्टेयर और O.C.M. 2.1444 हैक्टेयर है, विप्रार्थी संख्या 2 को मौका स्थिति R.O.R अनुसार 2.4277 हैक्टेयर भूमि दी गई है, जो अनुज्ञेय सीमा के अन्तर्गत है, प्रार्थी के खसरा संख्या 262 का 3.2375 हैक्टेयर तथा मौके पर नक्श 2.1087 हैक्टेयर होने के कारण R.O.R से अधिक 1.1288 हैक्टेयर भूमि खसरा संख्या 261 के पूर्व में तथा खसरा संख्या 259 के नीचे दी गई, प्रार्थी के खसरा संख्या 262 की R.O.R 3.2375 हैक्टेयर और O.C.M. 2.1087 हैक्टेयर है तथा N.C.M. 3.2281 हैक्टेयर है, प्रार्थी का रकबा R.O.R के अनुसार पूर्ण किया गया है। तहसीलदार सिवाना ने रिपोर्ट में अंकन किया है कि खसरा संख्या 262 का N.C.M. मौका अनुसार होने के कारण खारिज योग्य है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के आधार प्रार्थी के खातेदारी भूमि खसरा संख्या 262 का N.C.M. मौका अनुसार होने के कारण अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज [illegible] सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.05.23 13:33:25 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)